

(1) सिविल अपील क्रमांक: 12 / 15

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 12 / 2015
संस्थापन दिनांक 07 / 10 / 2015
फाइलिंग नंबर-230303013202015

1. मेहबूब खां पुत्र गुलाब खां आयु 51 वर्ष
2. नब्बी खां पुत्र खच्चू खां आयु 51 वर्ष
3. कल्लू खां पुत्र बाबू खां आयु 68 वर्ष
निवासीगण वार्ड नंबर 11 कस्बा मौ
4. सलीम खां पुत्र बक्कू उर्फ बाकर खां आयु 49 वर्ष
जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 10 मौ तहसील गोहद
जिला भिण्ड

.....प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र छविराम आयु 76 साल
2. घनश्याम सिंह पुत्र छविराम आयु 71 वर्ष
3. मुंशी सिंह पुत्र छविराम आयु 61 वर्ष
समस्त निवासीगण वार्ड नंबर 14 मौ,
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रत्यर्थीगण / वादीगण

अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थीगण / वादीगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ।

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला
भिण्ड द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-01ए/2014 ई0दी0 में घोषित निर्णय
दिनांक 08/09/2015 से उत्पन्न सिविल अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 24 जनवरी 2017 को घोषित किया गया)

1. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद पंकज शर्मा द्वारा सिविल वाद क्रमांक 01ए/2014 ई0दी0 में घोषित निर्णय व डिक्री दिनांक 08/09/2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ

न्यायालय ने वादीगण/प्रत्यर्थागण के मूल वाद को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है, कि वादी/प्रत्यर्थागण द्वारा ग्राम मौ तहसील गोहद स्थित सर्वे क्रमांक 342/1 रकवा 0.021 हेक्टे0 की भूमि शौकत अली और अशरफ अली पुत्रगण अब्बास अली से पंजीकृत बिक्रयपत्र द्वारा दिनांक 06/12/1982 को खरीदी थी, यह भी निर्विवादित है, कि वादी/प्रत्यर्थागण मकान बनाया है, यह भी निर्विवादित है, कि पंजीकृत बिक्रयपत्र प्र0पी0-01 में क़यशुदा भूमि का कोई नजरी नक्शा व चतुरसीमा अंकित नहीं है, यह भी निर्विवादित है, कि वर्तमान में सलीम खां के आवेदन पर से इंद्राज दुरुस्ती के संबंध में न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है और यह भी स्वीकृत है, कि वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड खलियान व टीला दर्ज है।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के समान भाग के भूमि स्वामी आधिपत्यधारी है, वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से दर्शित जगह वादग्रस्त है। वादग्रस्त जगह को वादीगण द्वारा विक्रेता शौकत अली एवं अशरफ अली पुत्रगण अब्बास अली से बिक्रय पत्र दिनांक 06/12/1982 के माध्यम से क़य किया जाता है, और उसी समय से वहां कमरा गैलरी एवं टीन शेड बनाकर निवास करते चले आ रहे हैं। क़यशुदा शेष पीछे का भाग वाउण्ड्री वाल से सुरक्षित है, उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा में पक्का रोड, पश्चिम में दिशा में नाई का मकान, उत्तर दिशा में दुकान व मकान झण्डासिंह एवं दक्षिण दिशा में शासकीय टीला है, खाली पड़ी पश्चिम दिशा की शेष भूमि में नवीन मकान का निर्माण वादीगण द्वारा नगर पंचायत मौ से विधिवत अनुमति लेकर प्रारंभ किया गया और करीब पांच फीट ऊंची दीवाल का निर्माण हो चुका है, लेकिन दिनांक 05/01/14 को प्रतिवादीगण एक राय होकर आए और वादीगण को वादग्रस्त जगह पर निर्माण करने से रोकने लगे, तथा झगडा करने पर आमादा हो गए, तब वादीगण ने उन्हें समझाया तथा अपने स्वामित्व संबंधी तथा भवन निर्माण की अनुमति संबंधी कागजात दिखाए, परंतु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नहीं माने और निर्माण न करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, जिसके कारण वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाए कि वह वादग्रस्त भूमि में वादीगण के निर्माण कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न न करें, तथा वादग्रस्त भूमि में उनके आधिपत्य में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न करे।
4. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे में अभिवचन किया है कि वादीगण के आवेदन में वर्णित वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 342/01 का विवाद अन्य सह हिस्सेदारों से पूर्व से चल रहा है, क्योंकि मौके पर सर्वे क्रमांक 342/01 की जगह नहीं है, मात्र कागजों में है, वादीगण ने गलत रूप से अन्य सर्वे क्रमांक जो कब्रिस्तान के हैं, उनका गलत मानचित्र बनाकर असत्य दावा पेश किया है। वादग्रस्त जगह वादी ने शौकत अली से नहीं खरीदी शौकत अली से जो भूमि खरीदी गई, वह अलग है, और उस पर झण्डा सिंह का मकान बना हुआ है। वादीगण द्वारा खरीदी गई जगह पर पूर्व से ही दुकान एवं कमरा बना है, और वादग्रस्त जगह वादीगण द्वारा क़य नहीं

की गई है, न उस पर कोई वाउण्ट्री वाल बनी है। वादीगण ने असत्य रूप से भवन निर्माण की मंजूरी ली है। वादग्रस्त जगह के वादीगण पंजीकृत स्वामी नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दिनांक 05/01/2014 अथवा कभी भी कोई धमकी नहीं दी गई। वादी द्वारा उसका नामांतरण होने के दिनांक अर्थात् 17/08/13 के पूर्व ही दिनांक 02/02/13 को ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली। सर्वे क्रमांक 340/01 एवं 340/02 कस्बा मौ में कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित भूमि है, जिस पर वादी एवं कुछ अन्य लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, तब प्रतिवादी क्रमांक 04 जो जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड मौ का अध्यक्ष है, उसने कलेक्टर भिण्ड एवं तहसीलदार गोहद को इस बाबत आवेदन दिए, कलेक्टर भिण्ड द्वारा पटवारी से मौके पर जांच कराई और वादी द्वारा कब्रिस्तान की जगह पर निर्माण करना पाया गया, तब तहसीलदार गोहद एवं थाना प्रभारी मौ द्वारा कब्रिस्तान की जगह पर निर्माण कार्य रोके जाने बाबत आदेश दिया गया, वादी बिना सीमांकन कराए सर्वे नंबर 342/01 के स्थान पर निर्माण न करते हुए, कब्रिस्तान की भूमि 340/01 एवं 340/02 की जगह पर निर्माण करना चाहता है, इसलिए वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाए।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 08/09/15 को घोषित निर्णयानुसार वादी/प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गई है।
6. प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील के ज्ञापन में मूलतः इस आशय का आधार लिया है, कि वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा मौजा मौ के सर्वे क्रमांक 342/1 रकबा 0.021 हैक्टे0 के जरिए बिक्रयपत्र दिनांक 06/12/82 के द्वारा खरीदना बताया है, जिसके कुछ भाग पर पूर्व से मकान व दुकान बनी हुई है और शेष भाग को वादग्रस्त बताते हुए, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है, जबकि वास्तविकता में वादीगण क़यशुदा भूमि पर वर्ष 1982-83 में ही निर्माण करा चुका था, और उनकी कोई भूमि शेष नहीं रही थी, वादग्रस्त जगह वादी/प्रत्यर्थी की न होकर शासकीय कब्रिस्तान की भूमि होकर सर्वे क्रमांक 340/1 और 340/2 का भाग है, और वादी/प्रत्यर्थीगण ने करीब दो वर्ष पूर्व कब्रिस्तान की जगह पर अवैध रूप से नींव खोदकर निर्माण प्रारंभ किया था, जिस पर आपत्ति की गई थी और कलेक्टर भिण्ड तथा तहसीलदार गोहद को आवेदन दिया गया था, तहसीलदार द्वारा पटवारी, आर0आई0 से जांच कराई गई थी, जिसमें निर्माण कब्रिस्तान की जगह पर पाया गया था और तहसीलदार द्वारा पुलिस थाना मौ को पत्र जारी कर निर्माण रूकवाया था, वादपत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया है, वह वास्तविकता से प्रतिकूल है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल जाकर वादी/अपीलार्थीगण का वाद डिक्री कर स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा उनको विरुद्ध पारित की है, जो कि कतई विधि सम्मत नहीं है, और उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए लोक दस्तावेजों का कोई मूल्यांकन न नहीं किया है, तथा वादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने अभिवचनों और साक्ष्य और साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है, कि क़यशुदा भाग वादग्रस्त भूमि का है अथवा नहीं क्योंकि उन्होंने क़यशुदा

का कोई सीमांकन नहीं कराया है, तथा जो मौखिक साक्ष्य पेश की है, वह भी विश्वसनीय नहीं है, और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है, वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस सर्वमान्य सिद्धांत का पालन नहीं किया है, और उनकी साक्ष्य में आए प्रतिपरीक्षा के सुझावों के आधार पर गंभीर विधिक त्रुटि करते हुए डिक्री पारित की है। वादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा दो बिस्वा भूमि खरीदी गई थी, किंतु उन्होंने चार बिस्वा पर निर्माण कर लिया है, जो स्वयं सूरज सिंह वा0सा0-02 ने स्वीकार किया है, वादी का मकान 210 फिट लंबा है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री को अपास्त कर वाद सब्यय निरस्त किया जाए।

7. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है—

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक—01ए/2014 ई0दी0 में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/09/15 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

2. क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री किए जाने योग्य है?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का विश्लेषण एवं निराकरण

8. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने और सुविधा की दृष्टि से उनका एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

9. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विस्तृत मौखिक तर्कों में यह बताया है, कि वादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा जो दो बिस्वा भूमि प्र0पी0-01 द्वारा खरीदी गई, उसमें आगे दुकान और पीछे मकान व आंगन का निर्माण खरीदने के बाद ही करा लिया था, और कोई खुली जगह शेष नहीं बची थी, तथा सर्वे क्रमांक 342/1 के पीछे सर्वे क्रमांक 340/1 और 340/2 की शासकीय कब्रिस्तान की भूमि है, तथा वे कब्रिस्तान समिति के सदस्य हैं और सलीम खां वक्फ बोर्ड मौ का अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा वादी/प्रत्यर्थीगण को निर्माण करने पर आपत्ति करते हुए तहसीलदार और कलेक्टर मिण्ड को आवेदन दिया गया था, तहसीलदार ने जांच कराई थी, जिसमें वादी/प्रत्यर्थी द्वारा कब्रिस्तान के कुछ भाग पर पत्थरों से नींव भरने की रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर से तहसीलदार ने निर्माण को रोका था और थाना मौ को लिखा था।

10. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है, कि वादी/प्रत्यर्थीगण ने कराए गए बयानामे प्र0पी0-01 का 32 वर्षों तक कोई नमांतरण नहीं कराया और जब वादी/प्रत्यर्थी मुंशी सिंह नगरपालिका परिषद मौ में

राजस्व निरीक्षण के पर पर पदस्थ हुआ तब उसने अवैध तरीके से नमांतरण करवाया और नक्शा तैयार कर झूठा दावा पेश किया, जिसमें विवादित जगह की नाम का तो उल्लेख किया है, किंतु निर्मित भू-भाग की कोई नाप नजरी नक्शा में स्पष्ट नहीं की है, जो वादीगण की दुर्भावना को स्पष्ट करता है, जो शासकीय भूमि पर कयशुदा भाग से दोगुनी भूमि पर निर्माण कार्य कराने को तत्पर रहा और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर उसकी आड में निर्माण कर लिया, प्र०पी०-०१ के बिक्रयपत्र में कोई नक्शा या सीमाएं नहीं है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय विधि के सुस्थापित और सर्वमान्य सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए घोषित किया है और प्रमाण भार अपीलार्थी/प्रतिवादीगण पर डाल दिया, जबकि प्रमाणभार हमेशा वादी पर रहता है, और आलोच्य निर्णय कण्डिका ०६,१०,११ का निष्कर्ष विधि विरुद्ध है, तथा सलीम खां जामा मस्जिद मौ का अध्यक्ष है और लंबे समय से वहां कब्रिस्तान अंकित है, पटवारी द्वारा इस आशय का भी स्पष्ट प्रतिवेदन दिया गया था, कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वर्ष २०१३-१४ में खलियान टीला अंकित किया है, इसलिए अपील सद्भावना पर आधारित है और उसे स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाए और मूल वाद सव्यय निरस्त किया जाए।

- ११.** प्रत्यर्थी/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम लिखित व मौखिक तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया है, कि वादी/प्रत्यर्थीगण ने सर्वे क्रमांक ३४२/१ का संपूर्ण रकवा कय किया था, कुछ भाग पर दुकान व मकान का निर्माण किया गया था, पीछे का भाग खाली रखा था, उसकी बाउण्ड्री वॉल थी, उसी परा निर्माण कार्य करने पर अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने उन्हें ब्लेकमेल करने के आशय से आपत्ति की और विवाद किया, जिस भू-भाग पर विवाद किया गया उसे नजरी नक्शे में नाप-तोल कर स्पष्ट लिखा है, क्योंकि यही विवादित है, आगे का भाग विवादित नहीं है, अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, कि सर्वे क्रमांक ३४०/१ और ३४०/२ की भूमि कब्रिस्तान की है और सलीम खां जामा मस्जिद मौ का अध्यक्ष है अथवा पदाधिकारी है, तथा विवादित भूमि कब्रिस्तान का अंश नहीं है, खसरा अभिलेख में सर्वे नंबर ३४०/१ और ३४०/२ संवत् २००७ में अब्बासी बगैराह के नाम से बतौर भूमि स्वामी दर्ज है, संवत् २००८ में मध्यभारत शासन की भूमि अंकित है और वर्तमान में शासकीय होकर खलियान व आबादी व टीला के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रमाण के अभाव में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-११४ (च) और (छ) के तहत प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होगी, तथा खसरा प्रविष्टि को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई है, और वे झगडा फर्साद करके अवैध वसूली करना चाहते हैं, जिसे विद्वान अधीनस्थ ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-१३ में निष्कर्षित किया है, सर्वे नंबर ३४०/०१ और ३४०/०२ की सीमाएं कहां कहां तक है, किन नंबर से लगी हुई है, उनका कितनी क्षेत्रफल है, कुछ स्पष्ट नहीं है, न कोई प्रमाण है, तथा उक्त भूमि वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है, अथवा वह वर्तमान में है, यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति की कोई सूची पेश नहीं की है, जबकि वक्फ सम्पत्ति की सूची रहती है, भूमि पर अन्य लोगों के मकान भी बताए गए हैं, किंतु उनके संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण मौन है, पटवारी की रिपोर्ट किस प्रकरण के लिए, तैयार की गई थी, इसका भी उल्लेख नहीं किया है, न ही पटवारी ने अपनी रिपोर्ट के संबंध में

कोई कथन कराया है, जिससे वे स्पष्टीकरण ले पाते और धन ऐठने की दुर्भावना से निर्माण को रोकने के लिए विवाद अपीलार्थीगण द्वारा किया गया था, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा उनके पक्ष में पारित की गई थी, जिसके पश्चात मकान का निर्माण पूर्ण हो चुका है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की है, अपील कतई सुद्ध नहीं है, और सारहीन है, इसलिए उसे सव्यय निरस्त किया जाए।

12. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, ऐसे में संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना विधिक अपेक्षा में शामिल है, तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1994 भाग-01 एम0पी0जे0आर0 पेज-148** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

13. अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय, डिक्री, अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षों के अभिवचनों का अध्ययन किया गया, अभिलेख को भी देखा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद लंबन काल में वादी/प्रतिवादीगण के पक्ष में सर्वे क्रमांक 342/01 रकवा 0.021 हेक्टे0 की भूमि में वादीगण को निर्माण करने में अवरोध उत्पन्न करने से अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को अस्थाई रूप से निषेधाज्ञा प्रचलित कर रोका गया था, अपील स्तर पर उभयपक्षों के तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट होता है, कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, और वर्तमान में कोई नवीन निर्माण नहीं हो रहा है, इस प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण मस्जिद की समिति के पदाधिकारी सलीम खां जामा मस्जिद मौ का अध्यक्ष है, अथवा नहीं इस बात की जांच नहीं होनी है, क्योंकि उनके विरुद्ध मूल वाद इस आधार पर वादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कि वे उनके विधिपूर्ण निर्माण में अवैध रूप से रुकावट पैदा कर रहा है, अर्थात् उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से पक्षकार बनाया गया था, इसलिए सलीम खां के जामा मस्जिद का अध्यक्ष होने या न होने को निष्कर्षित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि प्र0डी0-08 के रूप में जो दस्तावेज पेश है, वह इद्राज दुरुस्ती के लिए सलीम खां द्वारा अध्यक्ष जामा मस्जिद मौ वक्फ बोर्ड भोपाल की हैसियत से आवेदन दिया गया है, जिसे पर से हल्का पटवारी क्रमांक 83 मौ घनश्याम सिंह वघेल को जांच के लिए निर्देशित किया गया था, जिसने तहसीलदार गोहद को रिपोर्ट दी थी, राजस्व निरीक्षक वृत्त मौ की ओर तहसीलदार को प्र0डी0-12 की रिपोर्ट दी, प्र0डी0-13 कलैक्टर जिला भिण्ड के समक्ष प्र0डी0-08 के आवेदनपत्र पर आधारित आदेशपत्रिकाएं हैं, जिससे यह तो स्पष्ट होता है, कि सलीम खां द्वारा दिया गया इंद्राज दुरुस्ती के आवेदन पर से जांच लंबित है, जिसमें रिकॉर्ड में हेराफेरी की जांच कराए जाने और इंद्राज को दुरुस्त करने की प्रार्थना करते हुए कस्बा मौ के सर्वे क्रमांक 340 रकवा 17

बिस्वा एवं सर्वे नंबर 341 रकवा 21 आरे पर कब्रिस्तान का इंड्राज किए जाने और वर्तमान प्रविष्टि को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, अर्थात् वर्तमान स्थिति में उक्त भूमि पर कब्रिस्तान दर्ज नहीं है, बल्कि निस्तार खलियान, टीला इंड्राजित है, अर्थात् वर्तमान में अभी इस बिन्दु पर निष्कर्ष अना शेष है, कि जिस को शासकीय कब्रिस्तान की भूमि बताया जा रहा है, वह कब्रिस्तान की भूमि है अथवा नहीं, इससे यह भी स्पष्ट है, कि वर्तमान में विवादित सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति की प्रकृति की दर्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में धारा-09 सी0पी0सी0 के तहत सिविल वाद पोषणीय रहता है, क्योंकि वक्फ सम्पत्ति पर विवाद की दशा में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होता है, वक्फ बोर्ड भोपाल को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, इसलिए अपीलार्थी की पदीय हैसियत पर कोई निष्कर्ष दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

14. प्र0पी0-01 के रूप में अभिलेख पर वादीगण/प्रत्यर्थागण के कराए गए पंजीकृत बिक्रयपत्र मुताबिक उनके द्वारा संयुक्त रूप से शौकत अली और अशरफ अली पुत्रगण अब्बास अली से सर्वे क्रमांक 342/01 रकवा 0.021 हेक्टे0 कय किया था, बिक्रयपत्र में बिक्रेतागण को समान भाग का भूमि स्वामी आधिपत्यधारी बताया गया था, प्र0पी0-01 के बिक्रयपत्र को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा मूल वाद में चुनौती नहीं दी गई है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री उसी भूमि तक सीमित है, तथा वादप्रश्न क्रमांक 01 के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-06 मुताबिक भूमि स्वामी आधिपत्यधारी होने का जो निष्कर्ष दिया है, उसे चुनौती नहीं दी गई है, नजरी नक्शा में दर्शित विवादित स्थल पटवारी आर0आई0 की जांच रिपोर्ट पर आधारित है, और वादी/प्रत्यर्थागण का कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है, राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि पर अभी न्यायालय कलेक्टर भिण्ड के यहां से निर्णय आना शेष है, कि जिस भूमि पर वह कब्रिस्तान अंकित कराना चाहता है, वह वास्तव में कब्रिस्तान की है, अथवा नहीं, क्योंकि वह टीला के रूप में, खलियान निस्तार के रूप में अभी अंकित है, और उसमें अन्य लोगों का निर्माण भी पाया गया है, जिसमें राजीव जाटव, विद्याराम जाटव के मकान का उल्लेख है, तथा गुलाबचन्द्र किशुनलाल पुत्रगण मोहरमन बैस का भी अतिक्रमण वादी/अपीलार्थीगण के अलावा बताया है, इसलिए इस विचाराधीन अपील में वादी/प्रत्यर्थागण जिनके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदत्त की है, उस सीमा तक ही निष्कर्ष देने की आवश्यकता है।

15. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद को चुनौती देते हुए इस आशय का कोई प्रतिदावा नहीं किया है, कि विवादित जगह कब्रिस्तान की है, और अतिक्रमण को हटवाया जाए, न ही प्रथक से वादी/प्रत्यर्थागण के विरुद्ध कोई प्रतिदावा विचाराधीन है, जबकि वर्तमान स्थिति में निर्माण पूर्ण हो चुका है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आदेश दिनांक 17/01/15 को भी कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिसमें निर्माण में बाधा पहुंचाने से रोका गया था, जबकि उसे अपीलार्थी/प्रतिवादीगण चुनौती देने के समर्थ और सक्षम तत्समय थे, इसलिए उनकी खण्डन साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रश्नगत हो जाती है, मौखिक साक्ष्य को देखा जाए तो मुंशी सिंह वा0सा0-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में

सर्वे क्रमांक 342/01 रकवा 0.021 हेक्टेर की भूमि जो कि कस्बा मौ में स्थित होकर वार्ड नंबर 14 का भाग है और नगर आबादी के अंतर्गत वर्तमान में है, उसे अपने भाई रामसिंह और घनश्याम सिंह के साथ संयुक्त रूप से खरीदना बताते हुए प्र0पी0-01 का पंजीकृत बिक्रयपत्र पेश किया है, जिसका समर्थन विजय ओझा वा0सा0-02 सूरज सिंह वा0सा0-03 जो मुंशी सिंह का पुत्र है, तथा रामबाबू सोनी जो कि बिक्रयपत्र प्र0पी0-01 का अनुप्रमाणक साक्षी है, उसने प्र0पी0-01 का समर्थन किया है, प्र0पी0-01 के खण्डन स्वरूप प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की साक्ष्य जिसमें सलीम खां प्र0सा0-01 सहजाद खां प्र0सा0-02 और शहीद खां प्र0सा0-03 के अभिसाक्ष्य कराए हैं, उसमें खण्डन नहीं किया गया है, इसलिए वादप्रश्न क्रमांक 01 के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पुष्टि योग्य है।

16. प्रकरण में मूल विवाद इस बात को लेकर है, कि जो वादपत्र के साथ नजरी नक्शे में लाल रेखाओं से विवादित स्थल को दर्शाया गया है, वह वादी/प्रत्यर्थीगण के क़यशुदा भू-भाग का अंश है, या कब्रिस्तान की भूमि का अंश है, प्रकरण में यही मूल्यांकित करने है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं पाया और वादीगण की साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हुए उनके स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रदत्त की है, इसलिए मूल विवाद वाद प्रश्न क्रमांक 02 के संबंध में है।

17. अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य है, उसमें मुंशीसिंह वा0सा0-01 के द्वारा यह कहा गया है, कि विवादित जगह उनके द्वारा क़यशुदा भाग है और उस पर निर्माण करने से प्रतिवादीगण को रोकने का अधिकार नहीं है, जो कि झगडे पर आमादा दिनांक 05/01/14 को हो गए थे, जिस पर से अपने हितों की रक्षा के लिए दावा करना पड़ा और उस जगह से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है, बल्कि जो भूमि प्र0पी0-01 के द्वारा उन्होंने खरीदी थी, उसमें कुछ जगह में दुकान, कमरे, गैलरी, टीनशैड बनवाकर निवास कर रहे हैं, और उन्होंने विवादित जगह पर नवीन निर्माण करने की विधिवत अनुमति प्राप्त करके निर्माण करना शुरू किया था, और पांच फिट दिवाल बन जाने के बाद प्रतिवादीगण ने विवाद किया, तब दावा किया गया, मुंशी सिंह ने दिनांक 10/04/15 को प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है, कि वह एक वर्ष पूर्व नगर पंचायत मौ से आर0आई0 के पर से सेवा निवृत्त हुआ है, और सन् 1980 से सन् 1986 तक तथा वर्ष 2005 से अप्रैल 2014 तक नगर पंचायत मौ में पदस्थ रहा है, प्र0पी0-03 का प्रमाणीकरण उसने पदस्थ रहने के दौरान आवेदन देकर सी0एम0ओ0 से बनवाया था, यह भी स्वीकार किया है, कि करीब दो बिस्वा भूमि खरीदी है और जब खरीदी थी, तब मकान निर्मित था, फिर उसने यह कहा है, कि आगे नींव भरी हुई थी, और पीछे कृषि भूमि थी यह उसने पैरा-08 में कहा है, पैरा-09 में यह भी स्वीकार किया है, कि नींव भरी होने का उल्लेख प्र0पी0-01 में नहीं है, और प्र0पी0-01 का कोई नक्शा नहीं है, तथा प्र0पी0-01 के आधार पर 32 साल बाद नामांतरण करवा था, मकान बनाते समय कोई डायवर्सन नहीं कराया तथा नजूल की एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं की है, लेकिन नगर पालिका से विधिवत मंजूरी वर्ष 2013-14 में मकान बनाए जाने के संबंध में लेना कहा है, और यह स्वीकार किया है,

कि जब मंजूरी ली थी, उस समय नामांतरण नहीं हुआ था, नामांतरण पटवारी से करवाया था, इस बात से उसने इन्कार किया है, कि शासकीय कब्रिस्तान की जगह पर वह निर्माण कर रहा है और नगर पंचायत मौ में आर0एस0आई0 के पद पर रहने के कारण उसने झूठे कागज तैयार करके अवैध रूप से निर्माण की अनुमति प्राप्त कर ली, पैरा-11 में उसने यह अवश्य स्वीकार किया है, कि निर्माण करने पर पुलिस ने रोका था, तथा यह भी स्वीकार किया है, कि उसने कयशुदा भूमि की पैमाइश नहीं कराई थी, लेकिन खरीदी गई जमीन पर ही निर्माण वह कर रहा है और वाद लंबन काल में भी पैमाइश का प्रयास नहीं किया, अंत में इस बात से भी इन्कार किया है, कि वह बलपूर्वक कब्रिस्तान की भूमि पर निर्माण कर कब्जा कर रहा है, जिस उसे कोई अधिकार नहीं है।

18. वादी मुंशी सिंह वा0सा0-01 के दिए गए अभिसाक्ष्य का समर्थन विजय ओझा वा0सा0-02 एवं सूरजसिंह वा0सा0-03 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है, वा0सा0-02 ने यह कहा है, कि वह वादीगण के मकान को विगत 25 वर्षों से विवादित जगह पर बना हुआ अपने होश संभालने के समय से देख रहा है और चार पांच मकानों की दूरी पर ही वह रहता है विवादित जगह वादीगण ने शौकत अली के पिता अब्बास अली से खरीदी थी, लेकिन कितनी जगह खरीदी यह उसे पता नहीं है, खरीदी हुई जगह पर ही निर्माण करने की वह बात बताते हुए, भूमि की कोई माप उसके सामने वादीगण द्वारा न कराई जाना बताता है, पैरा-07 में उसने यह भी कहा है, कि कयशुदा जमीन पर वादीगण ने मकान व दुकान का निर्माण किया था और कुछ जगह खाली छोड़ी थी, उसके सामने पटवारी, आर0आई0 भूमि की नाप की जांच के लिए नहीं आए, और तहसीलदार ने पटवारी को निर्माण रोकने का कोई आदेश नहीं दिया, कब्रिस्तान की भूमि पर वादीगण के निर्माण से इन्कार किया है।

19. सूरजसिंह वा0सा0-03 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में पड़ोसी की हैसियत से दिए अभिसाक्ष्य में वादीगण का निर्माण कब्रिस्तान की भूमि पर होने से इन्कार कर यह कहा है, कि झण्डा सिंह उसके ताऊ हैं उसका और झण्डा सिंह का एक ही मकान है, वादी का मकान उनके मकान के बराबर है लंबाई में उसका मकान 210 फिट है वादग्रस्त स्थल के पीछे की ओर चौड़ाई ज्यादा है उसके सामने भी वादग्रस्त स्थल की कोई नाप नहीं हुई वह अपना जन्म सन् 1974 का बताते हुए, उसी समय से नींव भरी देखना कहता है और यह भी कहता है, कि उसका व वादीगण का मकान एक ही सर्वे क्रमांक में है और उसका बटांकन हो चुका है, वह इस बात से भी इन्कार करता है, कि खरीदी हुई जमीन पर वादीगण पहले ही मकान बना चुके थे, वाद कारण के संबंध में पैरा-08 में उसने यह स्पष्ट किया है, कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व विवादित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, तो प्रतिवादीगण ने रोका था, उस समय तक चार पांच फिट का निर्माण हो गया था, उसने सलीम द्वारा निर्माण कार्य रोकने बाबत कलेक्टर भिण्ड को आवेदन देने की बात भी स्वीकार की है, और प्रतिवादीगण के द्वारा निर्माण करने से यह कहकर रोका गया था, कि विवादित स्थल मस्जिद की जगह है, उसने इस बात से भी इन्कार किया है, कि पटवारी आर0आई0 ने वादग्रस्त जमीन कब्रिस्तान की पाई थी, जिस पर वादीगण निर्माण कर रहे थे, जिसे तहसीलदार ने रुकवाया था, रामबाबू सोनी वा0सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह

बताया है, कि जो जगह वादीगण ने खरीदी थी उस पर मकान बना कर रहे हैं, और चारों तरफ बस्ती है, और वह कह नहीं कह सकता है, कि किस सर्वे नंबर की भूमि में वादीगण निर्माण कर रहे हैं फिर उसने खरीदी हुई भूमि पर ही वादीगण द्वारा निर्माण करने की बात कही है, और यह भी कहा है, कि शौकत ने उसे बताया था, कि बस स्टेण्ड वाली दो बिस्वा भूमि का बयनामा किया है शौकत के बताए अनुसार वह खरीदी हुई भूमि पर निर्माण करना बता रहा है।

20. इस प्रकार से वादीगण की ओर से अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य पेश हुई है उसमें उपरोक्त साक्षियों के द्वारा कय शुदा भू-भाग पर ही वादीगण का निर्माण बताया है, कब्रिस्तान की किसी भूमि पर निर्माण से इन्कार किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई उसमें सलीम खां प्र0सा0-01 शहजाद खां प्र0सा0-02 और शहीद खां प्र0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि जो भूमि वादी ने खरीदी थी, उस पर वे खरीदने के बाद ही निर्माण कर चुके थे, और कोई भूमि खुली नहीं थी, तथा वे दो बिस्वा से अधिक भूमि पर निर्माण कर रहे थे, जो निर्माण कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करके किया जा रहा था, इस कारण आपत्ति की गई थी और तहसीलदार ने आर0आई0 पटवारी से नाप कराई थी, जिसमें भी वादीगण का निर्माण कब्रिस्तान की भूमि पर पाया गया था और तहसीलदार ने उस पर रोक लगाई थी, उनका यह भी कहना है, कि झण्डा सिंह भी कब्जा किए हैं और वादीगण भी कब्रिस्तान की भूमि हड़पना चाहते हैं, तथा मुंशीसिंह नगर पंचायत मौ में पदस्थ रहने के दौरान उसने बयानामे के 31 साल बाद अवैध तरीके से नामांतरण कराया, मकान का निर्माण बिना मंजूरी के किया गया है, तथा वादीगण ने खरीदी गई भूमि का कोई सीमांकन नहीं कराया है और बिना सीमांकन ही वे विवादित भूमि जो कि शासन द्वारा कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित रखी गई है उस पर बल पूर्वक अतिक्रमण कर निर्माण करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

21. सलीम खां प्र0सा0-01 ने यह बताया है, कि वह दिशाएं नहीं जानता है, सर्वे नं0-341/1 के एक तरफ रोड, दूसरी तरफ मुंशी सिंह का मकान, तीसरी तरफ राजू जाटव का मकान और चौथी दिशा में कब्रिस्तान की जगह है, जो खसरे में भी उल्लेखित है, उसकी वह लंबाई चौड़ाई नहीं बता सकता है, क्योंकि नापी नहीं है, यह स्वीकार किया है, कि सर्वे नं0-342/1 के पूर्व तरफ वादीगण के मकान व दुकानें बनी हुई हैं, पीछे की दिशा में खाली जमीन पड़ी है, वर्तमान में वादीगण का मकान पिछले भाग में अधबना है, इस बात से इन्कार किया है, कि पिछले हिस्से में मकान की बाउण्ड्री होकर मकान बन चुका है, अर्थात् उक्त साक्षी के पैरा -08 में जो तथ्य आए हैं, उससे वादीगण के मकान और दुकान के पीछे की ओर खाली जगह पड़ी होना एक तरह से स्वीकार किया गया है, अभिलेख पर जो नजरी नक्शा है, उसमें भी विवादित भू-भाग वादीगण के दुकान मकान के पीछे की तरफ का ही है, जो लाल रेखा से चिह्नित किया गया है, उक्त साक्षी को किसी भी भूमि के क्षेत्रफल की जानकारी नहीं है, न ही उसके द्वारा नाम कराए जाने की बात बताई गई है, और पैरा-10 में वह यह स्वीकार करता है, कि सर्वे नंबर 340 और 341 की कोई पैमाइश नहीं कराई तथा बिना सीमांकन वह यह नहीं बता सकता है कि सर्वे नंबर 340 और

341 का विस्तार कितना है।

22. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आर आई पटवारी की जांच रिपोर्टों पर अधिक बल दिया है प्र०डी०-०१ के रूप में पटवारी की तहसीलदार को संबोधित की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 20/03/13 है, उसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी-11 है तथा उसी जांच प्रतिवेदन का पंचनामा प्र०डी०-०९ है, जिसमें इस बात का उल्लेख तो है, कि पटवारी द्वारा स्थल का निरीक्षण और रिकार्ड का अवलोकन करते हुए जांच प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें **सर्वे कं०-339 खंती के रूप में अभिलेख में दर्ज बताया है, परंतु स्थल पर रोजा एवं कब्रिस्तान बना हुआ है**, अर्थात् पटवारी के मुताबिक कब्रिस्तान उक्त सर्वे नं०-339 में है, जबकि वादीगण ने जो भूमि खरीदी थी, वह सर्वे नंबर 342/1 रकवा 0.021 हेक्टे० थी, पटवारी की रिपोर्ट में सर्वे नंबर 340 के दो बटांक बताए गए हैं, जिनमें सर्वे नं०- 340/०१ और 340/०२ के कुछ हिस्से पर वादी मुंशी सिंह के द्वारा नींव खोदकर पत्थरों से भरना बताया गया है, किंतु प्र०डी०-०१, प्र०डी०-०९ एवं 11 में यह स्पष्ट नहीं है, कि किस भू भाग पर नींव खोदकर पत्थरों से भरा गया उसका क्षेत्रफल कितना है, और चतुरसीमा क्या है, उसके बिना पटवारी की रिपोर्ट अपूर्ण मानी जाएगी, यहां यह भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है, कि पटवारी द्वारा जो जांच की गई उसमें सर्वे नंबर 342/०१ को शामिल नहीं किया है, बल्कि सर्वे कं०-339, 340/०१ और 340/०२ एवं 341 को ही शामिल किया गया, तथा जब तक सर्वे नंबर 342 को भी सम्मिलित करते हुए सीमांकन न किया जाए तब तक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है।

23. पटवारी प्रतिवेदन प्र०डी०-०१/डी०-११ में इस बात का उल्लेख भी किया गया है, कि जिस सर्वे नंबर में मुंशी सिंह ने नींव खोदकर पत्थरों से भरी उसी में राजीव जाटव और विद्याराम जाटव के भी मकान बताए हैं, किंतु वादीगण की नींव सर्वे नं०-340/०१ में भरी गई या 340/०२ में भरी है यह भी स्पष्ट नहीं है, उनके रकवा भी स्पष्ट नहीं है, शेष जगह में टीला कब्रिस्तान बताया है, जबकि रिकार्ड में टीला आबादी लिखा हुआ है, कब्रिस्तान किस आधार पर पटवारी ने माना इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, पटवारी स्पष्टीकरण के लिए साक्ष्य में भी किसी पक्ष द्वारा नहीं बुलाया गया है।

24. पटवारी प्रतिवेदन प्र०डी०-०१/डी०-११ में यह भी उल्लेख है, कि सर्वे नंबर 340 व 341 संवत् 2007-2008 में अब्बासी बगैराह के नाम बहैसियत स्वामी अंकित है, कैफियत कॉलम नंबर 23 में कब्रिस्तान लिखा है, संवत् 2009 जो कि महत्वपूर्ण संवत् है क्योंकि जमींदारी उन्मूलन विधान उसी संवत् अर्थात् सन् 1951 में प्रभावी हुआ था, ऐसे में संवत् 2009 की प्रविष्टि अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें भूमि म०प्र० शासन के नाम मालिक की हैसियत से दर्ज है, कैफियत कॉलम नंबर 23 में कब्रिस्तान अंकित है, और संवत् 2010 से 2012 तक कब्रिस्तान का उल्लेख होना संवत् 2013-14 में खलियान व टीला का उल्लेख होना बताया है, संवत् 2016 में सर्वे नंबर 341 निस्तार खलियान 340/१ और 341/०२ गुलाब चंद्र किशुन लाल पुत्रगण मोहरमन वैश्य का अतिक्रमण रोजा कब्रिस्तान अंकित बताया है, उक्त दोनों का

वर्तमान में कब्जा होने से इन्कार किया है, और इंद्राज दुरुस्ती का प्रस्ताव पटवारी ने दिया है, जिस पर अभी विचार होना है, प्र०डी०-०२ लगायत प्र०डी०-०७ के खसरा अभिलेख जो कि संवत् 1999, 2007, 2008, 2009, 2010 लगायत 2014 एवं संवत् 2015 लगायत 2019 के हैं, उनकी प्रविष्टि के आधार पर पटवारी प्रतिवेदन है, पटवारी यह भी उल्लेखित करता है, कि खलियान व टीला का इंद्राज संवत् 2013-14 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पाया है, पटवारी के अनुरूप आर०आई० की रिपोर्ट प्र०डी०-12 है, और प्र०डी०-12 में भी सर्वे नंबर 342/01 की भूमि को शामिल करते हुए जांच प्रतिवेदन न होने से उसे वर्तमान प्रकरण में उपयोगी नहीं माना जा सकता है, पटवारी और आर० आई० के जांच प्रतिवेदन प्र०डी०-1/डी०-11 एवं प्र०डी०-12 के साथ कोई नजरी नक्शा या नक्शा अवश भी संलग्न नहीं है।

25. ऐसे में प्रतिवादीगण की जो साक्ष्य आई है, उससे वादीगण की मकान व दुकानों की पीछे खुली भूमि होने की पुष्टि सीमांकन के अभाव में होती है, प्रतिवादीगण के प्र०डी०-०८ के आवेदन पर से संचालित प्र०डी०-13 के प्रकरण में यदि इंद्राज दुरुस्ती होकर कब्रिस्तान अंकित होता है, तो वे सीमांकन कराके यदि किसी का अतिक्रमण पाया जाए तो उनके विरुद्ध कार्यवाही को विधिक रूप से सक्षम व स्वतंत्र हो सकते हैं, और म०प्र० भू राज्य संहिता 1959 की धारा 237 के तहत कलेक्टर को भूमि की प्रकृति बदलने का अधिकार प्राप्त है, वर्तमान परिस्थितियों में जबकि कब्रिस्तान का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज नहीं है, वे अतिक्रमण के संबंध में सक्षम नहीं हैं, राज्य किसी भी शासकीय भूमि के अतिक्रमण को हटाने के लिए समर्थ है और कार्यवाही कर सकता है जहां वे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान प्रकरण में जबकि सीमाएं निश्चित नहीं हैं, और अतिक्रमण के संबंध में कोई प्रतिदावा भी नहीं है, प्रतिवादी/अपीलार्थीगण द्वारा अपील में लिए गए आधारों का विधिक बल प्राप्त नहीं है।

26. शहजाद खां प्र०सा०-०२ के अभिसाक्ष्य में भी प्र०सा०-०१ की तरह ही तथ्य आए हैं और उसे भी सीमाओं का ज्ञान नहीं है, और शहीद खां प्र०सा०-०३ ने इस बात से इन्कार किया है, कि वादीगण का मकान पूर्ण बन चुका है, जबकि तर्कों में निर्माण पूर्ण हो जाने वाली बात बताई गई है, ऐसे में प्रतिवादीगण की जो मौखिक खण्डन साक्ष्य है वह वर्तमान परिस्थितियों में प्रबलता नहीं रखती है, वादीगण के नगर पंचायत मौ में हुए नामांतरण को मौखिक रूप से तो अवैधानिक तरीके से करा लेना बताया है, किंतु उसे भी प्रतिदावे के माध्यम से या प्रथक से कार्यवाही कर चुनौती दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष अवैधानिक नहीं कहे जा सकते हैं, जिसके द्वारा जो स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की गई है, वह केवल कयशुदा भू भाग सर्वे नंबर 342/01 रकबा 0.021 हेक्टे० वार्ड नं०-14 कस्बा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड तक ही सीमित है, इसलिए यदि सर्वे क्रमांक 342/01 की संपूर्ण भूमि को लेकर सर्वे नंबर 339, 340, 341 की भूमियों का सीमांकन प्रतिवादीगण कराते हैं और उसमें कोई उनके भू भाग पर किसी का अतिक्रमण पाया जाता है, तो वह वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति में उनके आक्षेप विधि सम्मत नहीं माने जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 08/09/15 के माध्यम से प्रदत्त स्थाई निषेधाज्ञा की

वादीगण/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में की गई डिक्री पुष्टि योग्य है और अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्क, अपील ज्ञापने में लिए गए आधार सद्भावी नहीं माने जा सकते हैं तथा यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कि वादीगण ने कयशुदा भू-भाग से दोगुने भू-भाग पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है।

27. न्याय दृ० श्रीमती उर्मिला एवं अन्य विरुद्ध भोगीराम 2004 भाग-02 एम०पी०जे०आर० पेज-82 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया है, कि यदि वादी के कब्जे में सम्पत्ति पाई जाए तो निषेधाज्ञा की डिक्री का वह हकदार होता है, इसी प्रकार न्याय दृ० विशम्भर दयाल एवं अन्य विरुद्ध नगर पालिका परिषद कोलारस 2010 भाग-03 एम०पी०जे०आर० पेज 248 में भी यह मार्गदर्शित किया गया है, कि वैध कब्जाधारी को स्वीकृत कब्जे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का हकदार माना जाएगा, विचाराधीन मामले में सर्वे नंबर 342/01 रकबा 0.021 हेक्टे० कस्बा मौ वार्ड नंबर 14 पर स्थाई निषेधाज्ञा प्र०पी०-01 के पंजीकृत बिक्रयपत्र के माध्यम से कयशुदा भूमि जिस पर वैध आधिपत्य वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्राप्त किया गया था, उसी पर डिक्री प्रदान की गई है, इसलिए उक्त न्याय दृ० वादीगण/प्रत्यर्थीगण के आधारों को बल प्रदान करते हैं।

28. इस प्रकार से उपरोक्त साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों का समग्र रूप से मूल्यांकन करने पर यह पाया जाता है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमित आशय की जो स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में और अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध उनकी व्यक्तिगत हैसियत से प्रदत्त की गई है, वह पुष्टि योग्य है, फलतः प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील बाद विचार सारहीन मानते हुए निरस्त की जाकर विद्वान अधीनस्था न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री को पुष्टि योग्य होने से यथावत रखा जाता है।

29. प्रकरण की परिस्थितियों और प्रकृति को देखते हुए उभय पक्ष अपना-अपना प्रकरण व्यय स्वयं वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किए जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम जो वह जोड़ी जावे।

तदनुसार अपील खारिजी की डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक: 24/01/2017

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)